उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या– 47/2021

अंजु अग्रवाल वो0 बनाम झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
23-02-2022	यह वाद अपीलार्थी अंजु अग्रवाल पति उमेश कुमार अग्रवाल वो0 सुनीता देवी पति मुकेश कुमार दोनो का साकिन बृजभानु भट्ट गली फतेहगंज, पुरानी गोदाम, गया, थाना कोतवाली जिला गया (बिहार) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/2019–20 अंजु अग्रवाल वो0 बनाम अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक 08.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख, संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख, संलग्न कागजातों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि मौजा रामगढ़ थाना न0 82 थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ के खाता न0 222 प्लॉट न0 1171 कुल रकवा 0.05 ए0 भूमि को निबंधित केवाला से खरीदगी के आधार पर दावा करते है। प्रश्नगत भूमि बकास्त खाते की भूमि है। उक्त बकास्त खाते की भूमि भूतपुर्व जमींदार द्वारा आवेदक को कैसे प्राप्त हुआ एवं उक्त बकास्त खाते की भूमि का लगान निर्धारण सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित है कि नही के संबंध में किसी तरह का कागजात अभिलेख में संलग्न नही है। उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 11/2019–20 अंजु अग्रवाल वो0 बनाम अंचल अधिकारी, रामगढ़ में दिनांक 08.03.2021 को पारित आदेश से 82	

अन्यथा आदेश पारित करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

उपरोक्त मंतव्य के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
23.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
23.02.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:08:37 +05:30
Location: 192.168.0.4